बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सारण नहर प्रमण्डल, सिवान

अल्पकालिन निविदा आंमत्रण सूचना सं0:– 03 वर्ष 2023–24

पत्रांक– 37 **सिवान,** **दिनांक – 08.01.2024**

1	विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : –	कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमण्डल, सिवान
2	परिमाण विपत्र ब्रिक्री की तिथि एवं समय :	दिनांक 18.01.2024 से 20.01.2024 तक (कार्यालय अवधि में)
3	निविदा जमा करने की तिथि एवं समयः	दिनांक 22.01.2024 3:00 बजे अपराहन् तक
4	तकनिकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :	दिनांक 22.01.2024 3:30बजे अपराहन् तक
5	निविदा प्रपत्र बिक्री का स्थान :	i.मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान। ii.अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान। iii.कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमण्डल, सिवान।
6	निविदा प्राप्ति का स्थान	क्रमांक 5 पर अंकित सभी कार्यालयों में।

7 कार्य का विवरणी :–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मल्य (रू0 में) जो लौटाया नहीं जायेगा।	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	Special repair of Residential Building of Suprintending Engineer, Saran Canal Circle, Siwan.	12.45791	25,000.00	2,500.00	**30 दिन**

8. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त, नियम, अर्हता, अग्रधन का रूप एव अन्य जानकारी के लिए कार्यालय सूचना पट्ट एवं परिमाण विपत्र बिकी स्थल पर सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही विस्तृत सूचना वेबसाईट www.wrdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमण्डल, सिवान

निविदाकार की योग्यता एवं शर्त्ते :–

1. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है जिसके अनुसार निविदा दस्तावेत के साथ अग्रधन की राशि के रूप में प्राक्कलित राशि का 02 प्रतिशत् तथा एकरारनामा के समय 03 प्रतिशत् (कुल पॅाच प्रतिशत) जो अगले 100.00 रूपये के गुणक में होगा, जमा करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा के समय अग्रधन के रूप में विभाग द्वारा निबंधन पत्र में अंकित नाम से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, डाकघर सावधि जमा 1/2/3 वर्षीय पासबुक अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति जो कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान के पदनाम से विधिवत् प्रतिज्ञिप्त ही मान्य होगा। निविदा सूचना निर्गत तिथि के पूर्व प्रतिज्ञप्त अग्रधन की मान्यता नही दी जायगी।
3. अधोहस्ताक्षरी/ विभाग को बिना कारण बताए निविदा को रदद् करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
4. निविदा दस्तावेज, निविदा प्रपत्र में वर्णित मूल्य नगद राशि के रूप में जमा एवं भारतीय स्टेट बैंक का बैंकड्राफ्ट् जो कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान के पदनाम से निर्गत एवं सिवान शाखा में भुगतेय हो जमा करने पर ही निर्गत किया जाएगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जाएगा।
5. निविदा दस्तावेज के सभी पृष्टों पर संवेदक को तिथियुक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य है तथा सभी मुहरबन्द लिफाफे पर ग्रुप संख्या एवं अपना पूरा पता मोबाईल संख्या एवं E-MAIL सहित अंकित करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के एक मुहरबन्द लिफाफे में प्री क्वालिफिकेशन बीड रहेगा, जिसके साथ संवेदक (विभागीय पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 के आलोक में) अपना अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र, निबंधन प्रमाण–पत्र, जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र, आयकर प्रमाण–पत्र (पैन कार्ड), आधार संख्या छायाप्रति (स्वअभिप्रमाणित कर) एवं अग्रधन की राशि (मूल में) संलग्न करना होगा तथा दूसरे मुहरबन्द लिफाफे में प्राईस बीड रहेगा, जिस पर संवेदक अपना दर अंकित करेंगे जो दशमलव के बाद दो अंको तक ही मान्य होगा। इस दोनों मुहरबन्द लिफाफों को एक तीसरे मुहरबन्द लिफाफे में रखकर ही निविदा डाली जाएगी। यह तीनों लिफाफा विधिवत् सील (लाह/चपड़ा) होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जाएगी।
7. विभाग द्वारा निर्गत पहचान पत्र या अद्यतन निबंधन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा दस्तावेज (परिमाण–विपत्र) निर्गत किया जाएगा।
8. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 447 (S) सह पठित ज्ञापांक 448(S) पटना दिनांक 18.01.2020 द्वारा सभी प्रकार की निविदाओं में निविदत दर की न्यूनतम अधिसीमा, अनुसूचित दर से 10 (दस) प्रतिशत कम दर को समाप्त कर दिया गया है। परिमाण–विपत्र की दर से कम दर उद्धत करने वाले निविदा के लिए अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Gurantee) लेने के प्रावधान को पत्रांक–449(S) पटना, दिनांक 16.01.2020 द्वारा लागु कर दिया गया है।
9. वित्तीय बीड में सभी सफल निविदाकारों का दर एक समान होने की स्थिति में बिहार सरकार लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधान के अनुसार कार्य का आवंटन लौटरी प्रकिया से किया जाएगा।
10. निविदा के पुर्व निविदादाता कार्यस्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट होकर ही निविदा डालेगें अन्यथा कार्य के दौरान या इसके बाद उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
11. बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 13589(S) पटना, दिनांक 13.12.2011 की कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रूपये 25.00 (पच्चीस) लाख तक के कार्यो के निविदा में श्रेणी–4 (चार) में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेगें।
12. सरकार के परिपत्र एवं आदेश के आलोक में संवेदक के विपत्र से नियमानुसार आयकर, 05 (पॅाच) प्रतिशत् जमानत, 02 (दो) प्रतिशत् **G.S.T.,** 01 (एक) प्रतिशत् Labour Cess की राशि की कटौती किया जाएगा (जो बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्यकार कल्याण वोर्ड के मद में जमा किया जायेगा) रॅायल्टी के कटौती के साथ ही विभागीय पत्रांक 719 दिनांक 15.10.2019, पत्रांक–599 दिनांक 06.12.2019, के आलोक में मालिकाना फीस (SF) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत् फ्लैट दर पर की जाएगी।
13. जिस संवेदक के विरूद्ध कालीकृत की कार्रवाई या अपराधिक मामला चल रहा हो उन्हें कार्य आवंटन से वंचित रखा जाएगा। कार्य करने के दौरान भी उक्त बात की जानकारी प्राप्त होने पर उनकी निविदा रदद् कर उनकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।
14. सशर्त्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
15. निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की सत्यता के सम्बन्ध में एक अद्यतन घोषणा 100 + 25 (एक सौ पच्चीस) रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसका प्रारूप निम्नवत् है:–

"I, the undersigned, do here by certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing."

16. सफल निविदाकार को प्रपत्र F2 (कंडिका 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।
17. सफल निविदाकार को एकरारनामा के पुर्व एकरारित राशि का 05 (पॅाच) प्रतिशत् (निविदा के साथ संलग्न 02 प्रतिशत् अग्रधन की राशि सहित) जमानत के रूप में अग्रधन, विभाग द्वारा निबंधन पत्र में अंकित नाम से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर सावधि जमा 1/2/3 वर्षीय पासबुक/ बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति जो कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, सिवान के पदनाम से विधिवत् प्रतिज्ञिप्त हो, जमा करना होगा।
18. संवेदक को सभी कार्य निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्त्तों, स्वीकृत नक्शा एवं प्राक्कलन तथा विशिष्टि एवं गुणवत्ता के साथ एवं रूपांकित सेक्शन में करना होगा, साथ ही जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निविदा संबंधित सभी अनुदेशों एवं शर्त्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
19. कार्य मुख्य शीर्ष '2700' के अन्तर्गत है अतः अनुसूचित दर से उपर का दर मान्य नहीं होगा। इस कार्य में कोई समय वृद्धि मान्य नही है।
20. सभी शपथ पत्र मूल में एवं अलग–अलग Ist Class magistrate द्वारा निर्गत देना अनिवार्य है।
21. कार्य आवंटन के पश्चात् एकरारनामा में निर्धारित अवधि के अनुरूप कार्य ससमय पूर्ण करना होगा अन्यथा जमा अग्रधन की राशि को जब्त कर ली जायेगी।
22. कार्य आवंटित होने के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में एकरारनामा नही करने पर कार्य आवंटन रदद् कर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
23. अभियंता प्रमुख कार्य प्रबधन, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 4439(E) पटना, दिनांक 17.07.2023 लागू होगा।
24. इस कार्य हेतु निधि उपलब्ध है जो इसी वित्तीय वर्ष तक मान्य है।
25. संवेदक को किए गए कार्य का भुगतान तभी होगा जब सरकारी प्रतिष्ठित गुण नियंत्रण के कार्यालय से गुणवत्ता का प्रमाण पत्र एवं GST Return की अद्यतन प्रति प्राप्त होगा।
26. विशेष जानकारी के लिए कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय के सूचना पटट् पर देखा जा सकता है।

08/01/24

कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमण्डल, सिवान
08.01.24